न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :— पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0— 16 / 2016
अनवान :—

1. मोहनलाल पुत्र हेतराम जाति मीणा साकिन कमायण तहसील राजगढ हाल नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. नाथीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर (फोत)
   1/1. सुल्तान पुत्र नाथीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर
   1/2. होशियारीलाल पुत्र नाथीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/3. लिच्छुराम पुत्र नार्थीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर
   1/4 रतनलाल पुत्र नार्थीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर1
   1/5 प्रेमदेवी पुत्री नार्थीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर1
   1/6 लक्ष्मी पुत्री नार्थीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर
   1/7 यशोदा देवी पुत्री नार्थीदेवी पत्नी पूर्णमल जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. श्यामसुन्दर पत्रु मोडूराम जाति नाई साकिन नोहर तहसील नोहर (फोत)
   2/1 दुर्गादत पुत्र श्यामसुन्दर जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर।
   2/2 पवन पुत्र श्याम सुन्दर जाति नाई निवासी नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

— तरतीबी गैरसायलान
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :— श्री महेशचन्द्र शर्मा अभिभाषक, सायल
श्री विजय कडवासरा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 06/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 106/108 के प0न0 317/445 (33) के किला न0 12/2 की 0. 164हैक , 13—14/0.506हैक , 17—18/0.506हैक किला न0 19/2 की 0.165हैक , किला न0 22/2 की 0.177हैक , किला न0 23—24/0.506हैक कुल 2.0240हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 74/77 के प0न0 317/443(13) के किला न0 24/0.2530 ,प0न0 317/444 (22) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530 , किला न0 17 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , किला न0 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530 , कुल 5. 0600हैक व प0न0 317/445(33) के किला न0 [illegible] 0.2277हैक , किला न0 2/0.2277हैक , किला न0 3/0.2277हैक , किला न0 4 की [illegible]277हैक किला न0 7/0.2530हैक किला न0 8/0.2530 , कुल 1.9228हैक व प0न0 0मु0 [illegible] 128/14 किला न0 [illegible] की 0.1012हैक कुल 7.3370हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल के खेत के उत्तर की तरफ गैरसायलान की खातेदारी भूमि जिसमें रोही मौजा चक 15 बारानी से स्वीकृत रास्ता पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है जो राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत व दर्ज है।

सायल अपने खेत में आवागमन करने के लिये प0न0 317/445(3) के किला न0 4 व 7 के उत्तर में दक्षिण पूर्व की तरफ से चलकर किला न0 6 पूर्व में पश्चिम की ओर से चलकर अपने खेत के किला न0 14 में प्रवेश करता है यही रास्ता सदामत से चालू है जिससे सायल अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत होकर दर्ज नही है।

सायल को उक्त रास्ता से आवागमन करने से गेरसायल रोक रहे है जिससे वह अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करने से वंचित हो रहा है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति हो रही है सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की वह उक्त किलों में रास्ता स्वीकृत करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/445 (33) के किला न0 4 , 7 में उतर से दक्षिण पूर्व की तरफ एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे बदले में भूमि देने को तेयार है।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1/4 से 1/7 व 2/2 रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं गैरसायल संख्या 1/1 से 1/3 2/1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

गैरसायलान के खेत के बीच में से सडक सोती की तरफ जाती है जिससे खेत के दो टुकडे हो चुके हे तथा प्रश्नगत रास्ता सायल के किलो के बीच में से मांग की हे जिससे गेरसायल के खेत के और टुकडे हो जायेगे तथा काश्त करने योग्य नही रहेगी तथा ना ही सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा है वहा सुविधाजनक है सायल का प्रार्थना पत्र सन 2016 से विचाराधीन हे तथा उसके खेत के लिए पहले से ही रास्ता चल रहा है सायल अपने खेत में सन्तलाल पुत्र रामेश्वर खाती व बाबूलाल पत्रु देवीलाल खाती के खेत में से कच्चा पत्थरलाईन से रास्ता जाता हे पहले बनवारी स्वामी के खेत में से होते हुए पत्थर लाईन से सन्तलाल पुत्र रामश्ेवर व बाबुलाल पुत्र देवीलाल के खेत मे से सयल के खेत का रास्ता सुविधाजनक है इसी रास्ता से आवागमन [illegible] रहे है।

मौका रिपोर्ट भू0अ0 [illegible] ने एकतरफा है गेरसायलान को मौका पर उपस्थित होने के लिये कोई नोटिस जारी नही किये हे तथा ना ही पक्षकारान के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है तथा मौका रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है मौका रिपोर्ट में अन्य किसी बैकल्पिक रास्ता के बारे में नही बताया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

गैरसायल छोटे काश्तकार हे पेशा किसान है तथा पहले गेरसायलान के बुजुर्गान दो मूल खातेदार थे तथा हम गैर सायलान छ खातेदार दर्ज हो चुके है तथा अब छ गैरसायलान खातेदार काश्तकार के आगे दो दो लडके है इसप्रकार गैरसायलान के खेत टुकडो में बट जायेगा पहले से ही गैरसायलान के खेत सोती की तरफ सडक जाती है जिससे खेत का विभाजन हो चुका है अब नियम विरूद्व सायल हमारे खेत में पत्थर लाईन की बजाय किला के बीचों बीच रास्ता की मांग की जा रही है जो स्वीकार योग्य नही है।

सायल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के कोई भी प्रावधान पूरे नही होते है तथा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली गई मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल का उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में गैरसायलान की भूमि रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/445(3) के किला न0 4 व 7 के उतर में दक्षिण पूर्व की तरफ से चलकर किला न0 6 पूर्व में पश्चिम की ओर से चलकर अपने खेत के किला न0 14 में प्रवेश करता है यही रास्ता सदामत से चालू है जिससे सायल अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है रास्ता की भूमि के बदले में भूमि देने को तेयार है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायलान की भूमि पूर्व में दो काश्तकारो के नाम से दर्ज थी वर्तमान में छ काश्तकारो के नाम दर्ज है जो आगे चल कर दो और टूकडों मे बट जायेगी इसप्रकार गेरसायलान छोडे काश्तकार है जिसकी भूमि में पूर्व से ही सोडी सडक बीचो बीच निकली हुई जिससे खेत दो टुकडों मे पहले से ही बट चुका है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता से ओर टुकडे हो जाबेगे तथा सायल ने पत्थर लाईन पर रास्ता नही चाहा गया है तथा सायल का पूर्व से अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है भू0अ0 निरीक्षक द्वारा एक तरफा रिपोर्ट तैयार की गई है वैकल्पिक रास्ता का विवरण नही दिया गया है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रावधानो के विपरित है अतः सायल का प्रार्थना पत्र 251 क के प्रावधानो के अनुरूप नही होने के कारण खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 106/108 के प0न0 317/445 (33) के किला न0 12/2 की 0.164हैक , 13–14/0.506हैक , 17–18/0.506हैक किला न0 19/2 की 0.165हैक , किला न0 22/2 की 0.177हैक , किला न0 23–24/0.506हैक कुल 2.0240हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 74/77 के प0न0 317/443(13) के किला न0 24/0.2530 ,प0न0 317/444 (22) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530 , किला न0 17 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , किला न0 17 ता 24 प्रत्येक 0.2530 , कुल 5.0600हैक व प0न0 317/445(33) के किला न0 1/0.2277हैक , किला न0 2/0.2277हैक , किला न0 3/0.2277हैक , किला न0 4 की 0.2277हैक किला न0 7/0.2530हैक किला न0 8/0.2530 , कुल 1.9228हैक व प0न0 0मु0न0 128/14 किला न0 0/2 की 0.1012हैक कुल 7.3370हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायलान है

सायल का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता स्वीकृत नही है सायल हमेशा से गैरसायल की भूमि रोही मोजा चक 15 बारीन के प0न0 317/445 (33) के किला न0 4 ,7 से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे छोटा एव सुविधाजनक है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है बदले में भूमि देने के लिये भी तेयार है

गैरसायल का कथन है कि सायल को पहले से रास्ता उपलब्ध है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता से सायल के खेत के टुकडे हो जावेगे

प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन करने उपरान्त गेरसायल का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि सायल ने जहा से रास्ता चाहा गया है वह गैरसायल की भूमि के एक किनारे से है जो पूर्व में स्वीकृत रास्ता से जुडता है

सायल ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज सोती सडक जो वर्तमान में चालू है जिससे दो किला दुरी पर सायल का खेत है बीच में दो किला भूमि गेरसायल की है स्वीकृत रास्ता जो वर्तमान में चालू है से गैरसायल के दो किला भूमि में रास्ता स्वीकृत करने से सायल अपनी खातेदारी भूमि में आसानी से प्रवेश कर सकता है अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूमि में प्रवेश करने के लिये उपलब्ध नही सायल को गैरसायल की भूमि में से ही रास्ता उपलब्ध हो सकता है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट जो भू0अ0निरीक्षक के द्वारा मौका निरीक्षण कर तेयार की गई है के अनुसार सायल प0न0 317/445(33) किला न0 4/2 व 7 की पूर्वी सीमा से उतर से दक्षिण की तरफ की भूमि से होते हुए अपने खेत में प्रवेश करता है प्रार्थी के खेत के लिये निकटतम दुरी पर यही रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी भूमि तक पहुचने के लिये उपलब्ध नही है यही रास्ता स्वीकार किया जाना प्रस्तावित भी किया गया है।

गैरसायलान का कथन है कि मौका [illegible] के समय गैरसायलान को नोटिस नही दिये गये ना ही बुलाया गया है एकतरफा रिपोर्ट तैयार की गई है गैरसायलान का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि मौका रिपोर्ट न्यायालय से निर्णय में सहयोग हेतु प्राप्त की गई थी ना की पक्षकारो के लिये मौका रिपोर्ट से न्यायालय सन्तूष्ट है न्यायालय के मन्शा के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..4

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में प्रस्तावित /चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है ना ही गैरसायलान के द्वारा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता उपलब्ध नही है सायल ने गैरसायलान की भूमि रोही मौजा चक 15 बारानी के 317/445(33) के किला न0 4 ,7 में से एक एक विश्वा रास्ता चाहा गया है जो तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार उचित प्रतीत होता है सायल को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुचने का रास्ता दिया जाना विधि सम्मत है सायल को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम एव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है सायल प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/445 के किला न0 4/2 व 7 की पूर्वी सीमा पर उतर से दक्षिण की तरफ एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायल को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/05/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.27 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested